न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.
Camp - Chak 5 L L Burjwali

वादपत्र संख्या 05/2018
अन्तर्गत धारा 88, 91 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. श्रीमती जसविन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री जगरसिंह, जटसिख, चक 21 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगगानगर
2. अमानतसिंह आत्मज श्री जगरसिंह, जटसिख, चक 21 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादीगण

बनाम

राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादी

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (वादी)
पैरोकार राज (प्रतिवादी)

दिनांक 23 मई, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 1 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 24/49 मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 6.325 हैकटर में से 1/6 हिस्सा एवं खाता संख्या 72/59 मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 2.530 हैक्टर में से 0.363 हैक्टर वादीगण के नाम पर बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है. किन्तु राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में वादी संख्या 1 का नाम जसविन्द्रकौर धर्मपत्नी स्व. श्री सुखमहेन्द्रसिंह एवं वादी संख्या 2 का नाम अमानतसिंह आत्मज श्री सुखमहेन्द्रसिंह अंकित किया गया है क्योंकि उक्त कृषि भूमि पूर्व में श्री सुखमहेन्द्रसिंह आत्मज श्री बख्तावरसिंह के नाम से दर्ज थी, वादी संख्या 1 एवं श्री सुखमहेन्द्रसिंह के विवाह से उत्पन्न वादी संख्या 2 श्री अमानतसिंह है. कुछ समय बाद श्री सुखमहेन्द्रसिंह की मृत्योपरान्त उक्त कृषि भूमि वादीगण को विरासतन प्राप्त हुई जिस पर निरन्तर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है. तदोपरान्त, परिवार की ओर से वादी संख्या 1 का विवाह स्व. श्री सुखमहेन्द्रसिंह के भाई श्री जगरसिंह के साथ करवा दिया गया. इस प्रकार श्री जगरसिंह द्वारा वादी संख्या 1 के पुत्र श्री अमानतसिंह को अपने पुत्र के तौर पर स्वीकार कर लिया गया. इस प्रकार पुर्नविवाहोपरान्त, वादीगण श्री जगरसिंह के साथ निवास कर रहे हैं तथा इसी प्रकार वादी संख्या 1 श्रीमती जसविन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री जगरसिंह एवं वादी संख्या 2

A2/3

अमानतसिंह आत्मज श्री जगरसिंह हो गया. वादीगण द्वारा प्रतिवादी को कई बार राजस्व अभिलेखों में वादीगण का नाम सही अंकित करने का निवेदन किया गया किन्तु प्रतिवादी द्वारा इन्कार कर दिया गया. यही वादहेतुक वादीगण को उपलब्ध है. इस प्रकार वादीगण द्वारा चक 1 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 24/49 मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 6.325 हैकटर में से 1/6 हिस्सा एवं खाता संख्या 72/59 मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 2.530 हैक्टर में से 0.363 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादी संख्या 1 का नाम श्रीमती जसविन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री जगरसिंह एवं वादी संख्या 2 का नाम अमानतसिंह आत्मज श्री जगरसिंह दर्ज करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 1 एल.एल. की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, वादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 8207 1178 7752, वादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 3796 9431 3606, वादी संख्या 2 के नाम पर जारी चुनाव पहचानपत्र संख्या WEZ/0654160, वादी संख्या 2 के नाम पर जारी माध्यमिक परीक्षा, 2009 की अंक तालिका (रोल नम्बर 0774813) की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

राज्यपक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 10 अप्रेल, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 से 6 जानकारी के अभाव में अस्वीकार करते हुऐ बिन्दु संख्या 2 को स्वीकार किया गया तथा बिन्दु संख्या 1 की बाबत वादीगण द्वारा स्वयं सिद्व करने के तथ्य अंकित किये गये.

राज्यपक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाब वादपत्र के तथ्यों की पुष्टि के लिये श्रीमती जसविन्द्रकौर, श्री अमानतसिंह एवं श्री जगरसिंह द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये. जिन पर पैरोकार राज द्वारा जिरह नहीं करने एवं राज्यपक्ष की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करने के कथन हस्ताक्षरित किये गये.

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर चक 1 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 24/49 मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 6.325 हैकटर में से 1/6 हिस्सा एवं खाता संख्या 72/59 मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 2.530 हैक्टर में से 0.363 हैक्टर कृषि भूमि की बाबत राजस्व अभिलेखों में वादी संख्या 1 का नाम श्रीमती सुखविन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री जगरसिंह एवं वादी संख्या 2 का नाम अमानतसिंह आत्मज श्री जगरसिंह, जटसिख घोषित करवाने के अधिकारी है.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

प्रमाणित प्रतिलिपि

A2/4

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादी संख्या 1 का नाम श्रीमती सुखविन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री जगरसिंह एवं वादी संख्या 2 का नाम अमानतसिंह आत्मज श्री जगरसिंह, जटसिख घोषित किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश खुले लोक अदालत न्यायालय कैम्प– चक 5 एल.एल. बुर्जवाली में आज दिनांक 23 मई, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर
Camp - Chak 5 L L Burjwali

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी
कार्यालय रिकार्ड
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर
Poonam

A2/5

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.

1. श्रीमती जसविन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री जगरसिंह, जटसिख, चक 21 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. अमानतसिंह आत्मज श्री जगरसिंह, जटसिख, चक 21 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादीगण

बनाम

राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादी

वादपत्र संख्या 05/2018
अन्तर्गत धारा 88, 91 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी संख्या 1 का नाम श्रीमती सुखविन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री जगरसिंह एवं वादी संख्या 2 का नाम अमानतसिंह आत्मज श्री जगरसिंह, जटसिख घोषित किया जाता है.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य... ...दर वार्षिक ...शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 23 मई, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

30-5-18